**भारत सरकार**

**रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय**

**औषध विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1168**

**दिनांक 27 जुलाई, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**औषधियों की कमी संबंधी शिकायतें**

**1168. श्री आनन्द शर्मा:**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान औषधियों की कमी संबंधी शिकायतों की बढ़ती संख्या की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अत्यधिक दाम, औषधियों की कमी, औषधियों की आपूर्ति संबंधी अस्वीकृति और पूर्व मूल्य अनुमोदन के बिना नई औषधियों की बिक्री के संबंध में 2016-17 और 2017-18 में कितनी शिकायतें दर्ज की गईं; और

(ग) औषधियों की कमी और औषधियों के अत्यधिक मूल्यों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार के प्रस्तावित कदम क्या-क्या हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय; जहाजरानी मंत्रालय और रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मनसुख एल. मांडविया)**

(क): जी, हां। उपलब्ध रिकॉड के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त दवाओं की कमी से संबंधित शिकायतें वर्ष 2017-18 में 124 मामलों की तुलना में 74 मामले हैं।

(ख): वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | शिकायत का प्रकार | 2016-17 | 2017-18 |
| 1 | अधिप्रभार | 25 | 48 |
| 2 | दवाओं की कमी | 74 | 124 |
| 3 | दवाओं की आपूर्ति संबंधी अस्वीकृति | 18 | 18 |
| 4 | पूर्व मूल्य अनुमोदन के बिना नई दवाओं की बिक्री | 12 | 0 |

(ग): विशेष स्थान पर विशिष्ट प्रकार की दवाओं की कमी से संबंधित शिकायतों के मामले में, संबंधित कंपनी को उस क्षेत्र में शीघ्र ही आपूर्ति के लिए कहा जाता है। सरकार प्रभावी रूप से दवाओं की कीमतों की निगरानी कर रही है और राज्य औषध नियंत्रक/ अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त संदर्भों, खुले बाजार से खरीदे गए नमूनों और बाजार आधारित आकड़ा रिपोर्टों एवं शिकायत निवारण वेबसाइट ‘फार्मा जन समाधान’ और ‘केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य वसूल करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करती है।

\*\*\*\*\*\*\*